

प्रेषक,

डी.सेन्थिल पाण्डियन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तराखण्ड,
देहरादून।

परिवहन अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक 06 नवम्बर, 2017

विषय- वर्ष 2017 में रक्षाबन्धन के दिन महिलाओं को प्रदेश के अन्दर उत्तराखण्ड परिवहन निगम की बसों के किराये में शत-प्रतिशत की छूट दिये जाने से प्रतिपूर्ति की धनराशि के भुगतान के सम्बन्ध में।
महोदय,

उपर्युक्त विषयक उत्तराखण्ड परिवहन निगम मुख्यालय के पत्रांक-736 नि0मु0/वित्त नियंत्रक/लेखा viii(7)2017, दिनांक 25.09.2017 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि रक्षाबन्धन के दिन महिलाओं द्वारा प्रदेश के अन्दर परिवहन निगम की बसों में की गयी यात्रा के फलस्वरूप किराये की प्रतिपूर्ति हेतु वर्ष 2017-18 में परिवहन निगम द्वारा प्रस्तावित कुल धनराशि ₹21,51,890.00 मात्र के सापेक्ष बजट में उपलब्ध धनराशि ₹ 18,48,775.00 (रूपये अट्ठारह लाख अड़तालीस हजार सात सौ पचहत्तर मात्र) की धनराशि को श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड के निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (i) उक्त धनराशि रक्षाबन्धन के दिन प्रदेश के अन्दर महिलाओं द्वारा उत्तराखण्ड परिवहन निगम की बसों में की गई निःशुल्क यात्रा सुविधा के परिप्रेक्ष्य में डिपोवार एवं क्षेत्रवार प्रतिपूर्ति बिल विवरण प्राप्त करके उनके सत्यापन के बाद आवश्यकतानुसार ही कोषागार के माध्यम से तत्काल प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड परिवहन निगम को उपलब्ध करा दी जाय।
- (ii) इस धनराशि का व्यय उत्तराखण्ड परिवहन निगम की बसों में रक्षाबन्धन के दिन महिलाओं को निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान किये जाने के परिप्रेक्ष्य में प्रतिपूर्ति हेतु ही किया जायेगा।
- (iii) व्यय उसी मद में किया जायेगा जिसके लिए यह स्वीकृत किया जा रहा है।
- (iv) व्यय करने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति भी प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
- (v) व्यय उपरान्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

2. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अनुदान संख्या-24 लेखाशीर्षक -3055-सड़क परिवहन-190-सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों को सहायता-03-परिवहन निगम की बसों से निःशुल्क यात्रा की सुविधा के लिए निगम को प्रतिकर भुगतान-00-के मानक मद 42-अन्य व्यय (आयोजनेत्तर) के नामे डाला जायेगा।

क्रमशः.....


3. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-487/XXVII(2)/2017 दिनांक 01 नवम्बर, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
(डी. सैन्थिल पाण्डियन)
सचिव।

संख्या 330(1)/2017/183/IX-2/2008 तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
- 2- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 3- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ए0 एण्ड ई0 ओबराय मोटर्स बिल्डिंग माजरा, देहरादून।
- 4- महालेखाकार, आडिट, वैभव पैलेस-ब-1/105 इन्द्रानगर, देहरादून।
- 5- वरिष्ठ कोषाधिकारी देहरादून।
- 6- प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड परिवहन निगम, देहरादून।
- 7- निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 8- आहरण वितरण अधिकारी, परिवहन आयुक्त कार्यालय, देहरादून।
- 9- वित्त नियंत्रक, उत्तराखण्ड परिवहन निगम मुख्यालय देहरादून।
- 10- बजट राजकोषीय संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 11- वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
- 12- निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 13- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(चिरंजी लाल)
अनु सचिव।